BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY

कुलसचिव का कार्यालय

प्रशासनिक भवन, बि०प०चि०महा० प्रांगण
पटना-800014

का.आ. सं.: 504 प्रशा०/कुलसचिव/बि.प.वि.विश्व., पटना **दिनांक: 18.04.2020**

कार्यालय आदेश

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (मुख्यालय) एवं सम्बद्ध कार्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, उपकेन्द्र आदि में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर/वाह्य्श्रोत कर्मियों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या: 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक: 14.04.2020 द्वारा संसूचित समेकित दिशा-निर्देश के साथ Lockdown की अवधि दिनांक: 03.05.2020 तक विस्तारित किये जाने का निर्देश निर्गत किया गया है।

उक्त गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा संसूचित निर्देश एवं सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 4/पद-3-102/14 सा०प्र०-106, पटना, दिनांक 17.04.2020 के आलोक में विश्वविद्यालय अंतर्गत कार्यालय संचालन हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं:

1. विश्वविद्यालय (मुख्यालय) एवं सम्बद्ध कार्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, उपकेन्द्र आदि के सभी प्रशाखा एवं कोषांग दिनांक:20.04.2020 के प्रभाव से खुले रहेंगे।
2. वर्ग- 'क' एवं 'ख' वर्ग के सरकारी सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे। वर्ग-'ग', अन्य न्यून वर्ग तथा संविदा कर्मी के 33% कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे।
3. प्रशाखाओं/कोषांगों में पदस्थापित सहायकों संवर्ग के कर्मियों उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक/कंप्यूटर ऑपरेटर/वाह्यश्रोत कर्मियों/कार्यालय परिचारी के सम्बन्ध में सम्बंधित प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आतंरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जायेगा।
4. सभी पदाधिकारी/सरकारी/वाह्य्श्रोत कर्मी को COVID-19 के प्रबंधन सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में Social Distance के लिए निर्धारित SOP का अक्षरश: पालन करना होगा।
5. कार्य स्थल पर चेहरे को ढकना/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्य स्थल एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक/शारीरिक (Social Distancing) दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी कर्मियों को मास्क, सेनेटाईजर/हैण्ड वॉश/डिटोल/साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही सभी दरवाजों आदि के हैंडल एवं छिटकनी के विभिन्न हिस्सों को निश्चित अंतराल पर सेनेटाईज कराना भी सुनिश्चित किया जाय।
6. दो से अधिक व्यक्ति एक साथ लिफ्ट का प्रयोग न करें एवं सीढ़ी के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाय।
7. किसी भी स्थान पर पाँच अथवा पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित है।
8. सार्वजानिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा।
9. विभाग/संस्थान/केंद्र/उप-केंद्र में साफ-सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय।
10. विभाग/संस्थान/केंद्र/उप-केंद्र में सभी पदाधिकारियों एवं उनके कोषांग/प्रशाखाओं में सेनेटाईजर/ हैण्ड वॉश/डिटोल/साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाय।
11. विभाग के अंतर्गत सभी शौचालय में हैण्ड वॉश/साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।
12. सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

13. सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों की जिम्मेदारी होगी कि वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं साफ़-सफाई (Personal Hygiene) का विशेष ध्यान रखेंगे।
14. विश्वविद्यालय (मुख्यालय) एंव सम्बद्ध कार्यालय, अंगीभूत सभी महाविद्यालय, अनुसन्धान केंद्र, उपकेन्द्र, कृषि विज्ञान केंद्र में शिक्षक/शिक्षकेत्तर/वाह्य्स्रोत कर्मियों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपयुक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे।

यह आदेश दिनांक 20.04.2020 के प्रभाव से लागू होंगे।

कुलपति के आदेशानुसार,
ह०/-
कुलसचिव

ज्ञापांक: 1717 प्रशा०/कुलसचिव/बि.प.वि.विश्व., पटना **दिनांक: 18.04.2020**

प्रतिलिपि: समस्त अधिष्ठातागण/निदेशकगण/वित्त नियंत्रक/सुरक्षा पदाधिकारी/सम्पदा पदाधिकारी/समस्त प्रभारी/प्रधान, कृषि विज्ञान केंद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/04/2020

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि: कुलपति के सचिव/निजी सहायक को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।